हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

खेमसिंह. बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या 24 / 2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.10.18 में उसके द्वारा (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.(सी) नं. 3109 / 2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में ग्राम पंचायत शिकारपुरा के राजस्व ग्राम शिकारपुरा के खसरा नम्बर 387 जो गैर मु.ओरण से वर्ष 2001 से 2018 तक कितने व्यक्तियों का आवंटन किया गया,नियमानुसार सूचि उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनिांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।